

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरौही
(पीठासीन अधिकारी: के.आर. खौड़, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

1. भावेश कुमार पुत्र दिनेशदास, जाति-वैष्णव, निवासी-मारोल, तह.रेवदर, जिला-सिरौही
 2. गोविन्द कुमार पुत्र नारायणदास, जाति-वैष्णव, निवासी-मारोल, तहसील- रेवदर
 3. पुरुषोत्तम पुत्र नारायणदास, जाति-वैष्णव, निवासी-मारोल, तह. रेवदर, जिला-सिरौही
- बनाम

प्रत्यर्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेवदर, जिला- सिरौही

राजस्व अपील संख्या: 03/2021

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित, अपीलार्थी की ओर से
2. पेरोकार सरकार (श्री नवलकिशोर माली, तहसीलदार, भू.अ. सिरौही)

—: निर्णय :-

दिनांक 30 सितम्बर, 2021

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। अपीलार्थी की ओर से यह अपील तहसीलदार, रेवदर द्वारा प्रकरण संख्या 52/2020 में पारित निर्णय दिनांक 10.11.2020 बाबत ग्राम मारोल, पटवार हल्का मारोल के खसरा संख्या 365 रकबा 20856 वर्गफीट किस्म आगोर भूमि का अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करते हुए मौके से बेदखल करने एवं जुर्माना आरोपित करने के आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध पेश की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थी की ओर से अपील की सुनवाई के दौरान पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

(3) प्रकरण में दिनांक 29.9.2021 को बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को विवादित भूमि का अतिक्रमी मानकर मौके से भौतिक रूप से बेदखल करने व जुर्माना आरोपित करने का आदेश पारित करने में कानूनन भूल की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी निर्णय पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि ग्राम मारोल के खसरा संख्या 365 व 262/1 में पुरानी आबादी बसी हुई है तथा अधिकांश ग्रामवासियों के आवासीय मकान खसरा संख्या 262/1 व 365 की भूमि पर बने हुए हैं व मौके पर गत कई वर्षों से अपने परिवार सहित निवास करते आ रहे हैं, जिसकी जानकारी राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों व ग्राम पंचायत को भलीभांति पूर्व से ही है। यह कि जयन्तिलाल कलबी, निवासी- मारोल द्वारा पूर्व में ग्राम मारोल के खसरा संख्या 199 में देवस्थान खेतलाजी की भूमि व रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा किया गया था जिस पर गांव वालों द्वारा आपत्ति करने पर उक्त व्यक्ति जयन्तिलाल पुत्र चेलाराम, जाति- कलबी तथा अर्जुनराम पुत्र चेलाराम, जाति- कलबी व रमेश लाल कलबी पुत्र चेलाली कलबी, निवासी- मारोल ने बदले की भावना से झूठे तथ्यों के आधार पर एक रिट याचिका संख्या 222/2020 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर प्रस्तुत की जिसको दिनांक 17.1.2020 को निस्तारित कर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जिला कलक्टर, सिरौही के समक्ष प्रतिवेदन देने के निर्देश दिये थे, पर



α

सिरौही (राज.)

राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त आदेश की आड में प्रत्यर्थी तहसीलदार, रेवदर ने अपीलार्थी को उसकी कदीमी से कब्जेशुदा आवासीय सम्पत्ति से बेदखल करने का आदेश पारित किया है, जबकि उक्त याचिका में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी व्यक्ति को बेदखल करने के निर्देश नहीं दिये हैं व न ही याचिकाकर्ता ने जिला कलक्टर, सिरौही के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, उसके बावजूद भी प्रत्यर्थी तहसीलदार, रेवदर ने अपीलार्थी को उसके पुराने कब्जेशुदा आवासीय भूमि जिस पर अपीलार्थी का आवासीय मकान बना हुआ है से बेदखल करने के आदेश पारित किया है जो विधि अनुरूप नहीं है। यह कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के संबंध में ग्राम मारोल के कई व्यक्तियों ने रिट याचिका माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में प्रस्तुत की थी, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा उन रिट याचिकाओं में दिनांक 02.9.2020 में पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 17.1.2020 को स्पष्ट करते हुए यह अभिनिर्णयित किया कि "खण्डपीठ रिट याचिका आदेश दिनांक 17.1.2020 में जिला कलक्टर, सिरौही को दिये गये निर्देश के बावजूद भी उक्त निर्देश का यह अर्थ नहीं है कि जिला कलक्टर, सिरौही कथित अतिक्रमियों को हटाने का आदेश देवे, बल्कि जिला कलक्टर, सिरौही संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का मौका देकर उनके विधिक अधिकारों का ध्यान रखते हुए विधि अनुसार आदेश पारित करे।" परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय को नजर अन्दाज कर आलोच्य आदेश पारित कर अपीलार्थी को बेदखल करने का आदेश पारित किया है जो किसी भी रूप में उचित नहीं है। प्रत्यर्थी तहसीलदार, रेवदर ने रिट याचिका संख्या 222/2020 में हुए आदेश का गलत अभिवचन कर अपीलार्थी व अन्य 400 परिवारों को उनकी कब्जे शुदा भूमि व उसमें बने पक्के आवासीय मकानों से बेदखल करने पर आमदा है। ग्राम मारोल के खसरा संख्या 262/1 किस्म ओरण व खसरा संख्या 365 किस्म आगोर में अपीलार्थी व उनके साथ लगभग 400 परिवार पिछले 50 वर्षों से निवास कर जीवन यापन कर रहे हैं। अपीलार्थी व इन व्यक्तियों ने अपने जीवन की खून पसीने के कमाई से पक्के आवासीय मकान भी बनाये हैं। रेकॉर्ड में खसरा संख्या 262/1 की किस्म ओरण व खसरा संख्या 365 की किस्म आगोर दर्ज है, परन्तु मौके पर यह भूमि कभी भी ओरण व आगोर के रूप में उपयोग में नहीं आई है, बल्कि सदैव से ही यह भूमि आवासीय उपयोग में आ रही है। यह कि ग्राम मारोल में करीब 1000 बीघा भूमि चारागाह के रूप में मौजूद है। इस प्रकार गांव मारोल में मवेशियों की संख्या के अनुरूप चारागाह भूमि अनुपात में काफी अधिक उपलब्ध है। न्यायालय को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 257 के अर्न्तगत निर्मित नियम 7 में यह अधिकार प्राप्त है की न्यायालय ग्राम पंचायत को चारागाह की भूमि की किस्म परिवर्तित करने की कार्यवाही करने व उसके बदले दूसरी भूमि चारागाह हेतु आरक्षित करवाने हेतु निर्देशित कर सकता है। इसी तरह, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90ए व 92 में भी न्यायालय को अधिकार दिये हुये हैं। यह कि विवादित खसरा संख्या 262/1 व 365 का उपयोग सदैव आवासीय हेतु किया जाता रहा है व राज्य सरकार द्वारा इसी खसरा में पटवार घर का निर्माण किया है। उक्त खसरा से लगते हुए खसरा संख्या 262 की भूमि की किस्म भी वर्ष 2009 में आबादी भूमि में परिवर्तित कर उसका प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है। यह कि विवादित खसरा संख्या में अपीलार्थी लगभग 50 वर्षों से अधिक समय से काबिज होकर उस पर अपना पक्का निर्माण करवाया हुआ है तथा उसमें विद्युत कनेक्शन भी लिया हुआ है। इसी खसरा में कई अन्य व्यक्तियों को आवासीय सम्पत्ति के पट्टे भी ग्राम पंचायत, मारोल द्वारा जारी किये जा चुके हैं तथा अपीलार्थी व अन्य द्वारा स्वच्छ भारत योजना के तहत पटवारी की सहमति से शौचालय का निर्माण कार्य भी करवाया हुआ है। यह कि ग्राम पंचायत, मारोल द्वारा जिन व्यक्तियों को इन खसरों की भूमि में

.....तीन पर



अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए बाद जांच विधि अनुरूप निर्णय पारित किया है, इसलिये अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि हल्का पटवारी, मारोल द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध संवत् 2077 में ग्राम मारोल, पटवार हल्का मारोल के खसरा संख्या 365 रकबा 20856 वर्गफीट किस्म आगोर भूमि पर अतिक्रमण कर पक्का घर/बाड़ा बनाने की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलार्थी को विवादित भूमि पर अतिक्रमण बाबत नोटिस जारी किया जाकर नोटिस की तामिल करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य भ्र्स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने खसरा संख्या 365 किस्म आगोर राजकीय बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा किया है, जो प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।



al
(के.आर.खौड)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही